राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(254)/निपेवि/नियम/2015/पार्ट–II/ 3827-804 दिनांक : 18.12.15

संयुक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय,
अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर,उदयपुर।

विषय :– पेंशनर की विधवा/विधुर की जन्मतिथि के निर्धारण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा निम्न ज्ञापन जारी किये गये हैं :–

1. F.12(3)FD/Rules/2008 Dated 30.06.2009
2. F.12(3)FD/Rules/2008 Dated 29.09.2011
3. F.12(3)FD/Rules/2008 Dated 07.11.2014

इनके अनुसार जन्मतिथि निर्धारण हेतु कर्मचारी द्वारा पेंशन कुलक/सेवापुस्तिका में जन्मतिथि/आयु के संबंध में उपलब्ध कराई गयी सूचना को प्रथम प्राथमिकता दी जानी है। यदि कर्मचारी के पति/पत्नी का सैकन्ड्री स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें अंकित जन्मतिथि स्वीकार्य होगी। यदि उक्त दोनों स्थितियां नहीं है तथा दिनांक 12.09.2008 से पूर्व के पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं ड्राईविंग लाइसेन्स में अंकित जन्मतिथि को माना जा सकता है बशर्ते कि पेंशनर का पति/पत्नी यह शपथ पत्र दे कि उसने सैकन्ड्री स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा पास नहीं की है।

राशन कार्ड/मेडिकल डायरी अथवा अन्य विधिक साक्ष्य के आधार पर जन्मतिथि निर्धारित करने से पूर्व संबंधित विभाग से जन्मतिथि के संबंध में उपलब्ध जानकारी मांगनी होगी जिसके लिये संबंधित विभाग को एक माह का समय दिया जावेगा।

यदि पेंशनर के पति/पत्नी की जन्मतिथि के संबंध में मेडिकल डायरी, राशन कार्ड अथवा अन्य विधिक दस्तावेज प्रस्तुत करना भी संभव नहीं हो तो उप खण्डीय न्यायाधीश द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके आधार पर उसकी जन्मतिथि निर्धारित की जा सकेगी।

दिनांक 01.01.2006 से पूर्व की सेवानिवृति के मामलो में दिनांक 12.09.2008 से पूर्व के साक्ष्य ही मान्य होगे।

जन्म तिथि निर्धारित होने के बाद सेकेण्ड्री स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि, सेकेण्ड्री स्कूल उर्त्तीर्ण नहीं होने पर पति/पत्नी (पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र) के शपंथ पत्र, के साथ मतदाता पहचान पत्र पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट की प्रति के साथ परिवर्तन की प्रार्थना प्राप्त होने पर उसका परीक्षण किया जावे तथा उचित समझा जाने पर पूर्व में जन्म तिथि निर्धारण के समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुए परिवर्तन की अनुमति हेतु निदेशक को अपनी अभिशंषा के साथ प्रकरण भिजवाया जावें।

अधिकृति में साक्ष्य का उल्लेख न होने पर भी कोषाधिकारी द्वारा उसके आधार पर पेंशन का भुगतान किया जावेगा जिसका दायित्व अधिकृति जारी करने वाले अधिकारी का होगा।

भवदीय

(के.के. गैडियोक)
निदेशक

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर फोन : 0141–2741687, 2740694 फेक्स : 0141–2740678
वेबसाईट www.rajpension.nic.in ई–मेल : dir-pen-rj@nic.in

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(254)/निपेवि/नियम/2015/पार्ट–II/ 3827-80H दिनांक : 18.12.15

प्रतिलिपि :–

1. कोषाधिकारी .... (समस्त) राजस्थान को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.11.2014 के पैरा 3 में किये गये प्रावधान के संदर्भ में भेजकर लेख है कि इस विभाग के परिपत्र संख्या 121–60–एच दिनांक 19.01.2012 द्वारा जन्मतिथि संशोधन हेतु दिये गये अधिकार तत्काल प्रभाव से वापस लिये जाते हैं।
2. उप/सहायक निदेशक, पीआर 1–4, 2–6, 3 एवं 5–7, एन.पी.एस. शाखा, प्री–2006 एवं प्री 2013 शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित

निदेशक